संख्या-135 /कार्मिक-2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल ।
3. सचिव,
   लोक सेवा आयोग,उत्तरांचल,
   हरिद्वार ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 16 फरवरी,2004

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र की जांच करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों मे अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के लिये कमश: 19, 04 व 14 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है । उक्त आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है । जाति प्रमाण पत्र के निर्गत करने के सम्बन्ध मे शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक-2/2002 दिनांक 29 मार्च 2003 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये है व जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है ।

2. राज्याधीन सेवाओं/पदों मे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के लिये आरक्षण की सुविधा का लाभ उत्तरांचल राज्य में उक्त वर्ग के उत्तरांचल निवासी अभ्यर्थी को ही अनुमन्य है । अन्य राज्य के निवासी उक्त वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविध का लाभ नही प्राप्त होगा । इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 254/कार्मिक-2/2002 दिनांक 10अक्टूबर 2002 से उक्त स्थिति पूर्व मे ही स्पष्ट की जा चुकी है ।

public service commition

3. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि निकटवर्ती राज्य के निवासी अभ्यर्थियों द्वारा इस राज्य के जनपदों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ावर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होने का लाभ लिया है, यह स्थिति उचित नहीं है । आरक्षित वर्ग के लिये अनुमन्य / सुलभ सुविधाओं का लाभ उत्तरांचल के आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त होना चाहिये ।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति के उत्तरांचल निवासी होने की समग्र छानवीन करेगा और प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा । यदि किसी अधिकारी द्वारा पूर्ण छानबीन किये बिना त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी । शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भी आवश्यक रूप से करायी जायेगी तथा जिलाधिकारी ऐसे प्रमाण पत्रों की जांच उप जिलाधिकारी से अन्यूनस्तर के अधिकारी से कराकर 15 दिन के अन्दर जांच परिणाम से सम्बन्धित विभाग को सूचित किया जायेगा । जांच में यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण जारी किया गया पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध में अभ्यर्थन तुरन्त निरस्त करने हेतु लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जायेगा ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।